

696

24 JUN 2019



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785954



दान-पत्र

ग्राम बिलावली तहसील व जिला देवास (म.प्र.) की भूमि का दान पत्र पारूप
क्रमांक 03 में स्थित प.ह.न.17 (नया नं.41) पर अंकित।

वर्क क्रमांक 02 सरल क्रमांक 29 आवास नगर अन्दर की ओर बिलावली
श्रृण पुस्तिका भाग-01 एवं 2 क्रमांक एल.जे. 347394 राजस्व निरीक्षक मंडल -01,
देवास में दर्ज भूमि का दान पत्र।

सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 1,13,43,000/(अबरी रूपया एक करोड तेरह लाख त्रियालीस हजार) मात्र

उक्त भूमि मुख्य मार्ग/राज्य मार्ग/राष्ट्रीय राज्य मार्ग/वायपास/जिला मार्ग/ग्रामीण मार्ग
पर स्थित नहीं होकर अन्दर की ओर स्थित है।

स्टाम्प इयुटी	-	5,67,150.00
नगर निगम इयुटी	-	1,13,430.00
पंचायत इयुटी	-	1,13,430.00
उपकर इयुटी	-	14,179.00
अधिक स्टाम्प	-	11.00

कुल स्टाम्प रूपये - 8,08,200.00

Anjaya


निरंतर.....02 पर

अधिकारी
राज्य न्यायिक सेवा
A/S

696

रसीद दस्तावेज बगैर
मुकाम 44

766



दस्तावेज की तफसीलबारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीम दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत

तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा

रजिस्ट्री के आहंदाद के छोटे दस्तखत

22-11-2015
आलोक सिंह
राज-पुत
देवास (म.प्र.)

3

4

9075000

उप-पंजीयक

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

//02//

दान पत्र लिख देने वाले :-

(प्रथम पक्ष)

01. आलोक सिंह पिता श्री रामप्रकाश सिंह
जाति-राजपुत, आयु-49वर्ष, व्यवसाय-व्यापार
PAN NO. :- ATKPS4525M
02. श्रीमती अनिता पति श्री आलोक सिंह
जाति-राजपुत, आयु-48वर्ष, व्यवसाय-व्यापार
निवासीगण-बी-1/52 आवास नगर देवास (म.प्र.)
PAN NO. :- ATKPS4513M

इसमें इनके समस्त उत्तराधिकारी सम्मिलित होकर इस दान पत्र की आगामी कंडिकाओं में दान दाता/प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया जावेगा।

दान पत्र जिनके हित में निष्पादित किया जा रहा है :-

(द्वितीय पक्ष)

समिति- रिनेसंस एज्युकेशन सोसायटी,
बी-1/52 तल मंजिल आवास नगर देवास (म.प्र.)
पंजियन क्रमांक उ.स.498/28.04.1993
PAN NO. :- AAAAR9031M

द्वारा सचिव:-

आलोक सिंह पिता श्री रामप्रकाश सिंह
जाति- राजपुत, आयु-49 वर्ष, व्यवसाय- व्यापार
निवासीगण-म.नं.बी-1/52 आवास नगर देवास(म.प्र.)
PAN NO. :- ATKPS4525M

इसमें इनके समस्त उत्तराधिकारी सम्मिलित होकर इस दान पत्र की आगामी कंडिकाओं में दान प्राप्त कर्ता द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया जावेगा।

सचिव



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785956

//03//

दान की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-
यह कि प्रथम पक्ष के संयुक्त मालकी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम बिलावली तहसील वर्धा जिला देवास (म.प्र.) प.ह.नं. 17 (नया नं.41) पर स्थित भूमि को दान करने हेतु प्रथम पक्ष को समस्त अधिकार प्राप्त होकर प्रथम पक्ष इस दान पत्र के संपादन हेतु सक्षम है, दान की जाने वाली भूमि का विवरण:-


क्रमांक	सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेर में)	लगान
1.	199/4	0.836	रेटवारी
कुल	01	0.836	रेटवारी

चर्तुःसीमा:-

पूर्व को - कमलकुँवर ठाकौर की शेष भूमि
पश्चिम को - प्राधिकरण की भूमि
उत्तर को - कमलकुँवर ठाकौर की शेष भूमि
दक्षिण को - मार्ग

उपरोक्त वर्णित भूमि शासकीय पट्टे की नहीं होकर भू-दान यज्ञ के तहत नहीं दी गई है, दान की जा रही भूमि पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 165(6)(क) का उल्लंघन होता नहीं है। उक्त भूमि पर आने जाने हेतु जिस रास्ते का उपयोग प्रथम पक्ष द्वारा किया जा रहा है उसी रास्ते का उपयोग आप द्वितीय पक्ष द्वारा भविष्य में किया जावेगा।।

निरंतर.....04 पर


सचिव
राजस्व विभाग
देवास नगर देवास



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785957


//04//

यह कि ग्राम बिलावली प.ह.न. 17 (नया नं.41) तहसील व जिला देवास (म.प्र) में स्थित भूमि सर्वे नं.199/4 रकबा 0.836 हेक्टर, लगान रेटवारी भूमि हम प्रथम पक्ष आलोक सिंह पिता श्री रामप्रकाश सिंह एवं श्रीमती अनिता सिंह पति श्री आलोक सिंह निवासी गण बी-1/ 52 आवास नगर, देवास (म.प्र) द्वारा श्रीमती कमलकुंवर पति श्री मानसिंह गकोर निवासी 10, तुकोगंज रोड़, देवास (म.प्र) से विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रमांक 1-अ/ 565 दिनांक 24.05.2003 द्वारा कय की गई होकर उक्त वर्णित सर्वे नं. वाली भूमि प्रथम पक्ष के संयुक्त मालिकी, स्वत्व, आधिपत्य एवं कब्जे की होकर हम प्रथम पक्ष के नाम से राजस्व कागजात एवं रेकार्ड में दर्ज है जिस आधार पर उक्त वर्णित सम्पत्ति के संबंध में समस्त भूमि स्वामी अधिकार, स्वत्व प्रथम पक्ष के पास होकर इसे कहीं पर भी रहन, गिरवी, दान, बक्षीस, विक्रय आदि करने का पूर्ण अधिकार होने से उक्त वर्णित सर्वे नं. वाली भूमि का दान पत्र दान दाता /प्रथम पक्ष द्वारा दान ग्रहिता /द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया जा रहा है।

यह कि आज अंतरित की जा रही प्ररनाधीन सम्पत्ति को प्रथम पक्ष द्वारा अथवा प्रथम पक्ष के प्रतिनिधि या समनुदेशिती या उसके अभिकर्ता (एजेंट) के द्वारा आज दिनांक तक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा पूर्व में हस्तांतरित या स्थाई रूप से अव्यसंक्रांत नहीं किया गया है अर्थात् इस अंतरण से पंजीयन अधिनियम की धारा 22 (क) का उल्लंघन नहीं होता है।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति दान दाता के मालिकी स्वत्व, आधिकारी, आधिपत्यधारक होकर उपरोक्त सम्पत्ति कहीं रहन, गिरवी, दान, बक्षीस किया हुआ नहीं है तथा दान दाता हर प्रकार से अंतरण / हस्तांतरण उपरोक्तानुसार दान पत्र निष्पादित / संपादित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है तथा दानग्रहिता को दान में प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।

यह कि उपरोक्त भूमि का दान समिति के कार्पस का भाग होगा एवं उपरोक्त भूमि का उपयोग समिति के बाईलाज में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही किया जा सकेगा।

 सचिव
रिजिस्ट्रार प्रमुख न्यायिक
21/5 आवास नगर देवास

अन्य

निरंतर...05 पर



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785958


//05//

यह कि उपरोक्त दान पत्र में अंतिमविशिष्ट भूमि समस्त अधिकार सहित प्रथम पक्ष द्वारा इसकी चर्तुःसीमा समझाकर इसका अधिपत्य द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है । आज से अधिकार मालिक के नाते एवं स्वत्व प्रथम पक्ष को प्राप्त थे, वह समस्त हित व अधिकार उपर खुल्ला किये अनुसार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है ।

यह कि उपरोक्त विवरण की भूमि सभी प्रकार के प्रभारो से मुक्त होकर क्लीन टायटलयुक्त है, इस भूमि के स्वत्व आधिपत्य एवं अधिकार के संबंध में कोई विवाद नहीं है यदि भविष्य में ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको निपटाने का कुल उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का रहेगा । द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के हर्जे-खर्चे में नहीं पड़ने दिया जावेगा ।

यह कि इस दान पत्र में समाविष्ट भूमि पर दान पत्र संपादन की तिथि तक कोई भी किसी भी प्रकार का राजस्व विभाग, नगर पालिक निगम/नजूल/मध्यप्रदेश विद्युत मंडल/पंचायत या अन्य किसी शासकीय विभाग का कोई बकाया कर व प्रभार देना शेष नहीं है । दान की जाने वाली भूमि किसी भी बैंक, सोसायटी या प्रायवेट व्यक्ति के पास, गिरवी, दान, बक्षीस के प्रभार के अधीन नहीं है । यदि इस संबंध में कोई कर, टिक्स आदि अवशेष रहा तो उसके सदाय का कुल उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का रहेगा । इसी प्रकार उक्त भूमि पर स्वत्व की कमजोरी के कारण प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को किसी भी हर्जे खर्चे में पड़ने नहीं दिया जावेगा ।

यह कि प्रथम पक्ष का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष को समस्त सरकारी विभाग में तथा राजस्व विभाग में, पंचायत आदि में नामान्तरण करने में पूर्ण सहयोग करेंगे ।


 निरंतर...06 पर
 81/5 आदर...
 ANAND



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785959

//06//

उभय पक्ष ने इस दान पत्र में लिखे समस्त कथनों को गंभीरता पूर्वक स्वयं अध्ययन कर पढ़कर एवं समझकर स्वीकार करते हुए अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हुए पूरे होश हवास में स्वस्थचित्त से दो उल्लेखित गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर गवाह कराते हुए आज बिना दबाव के राजी-खुशी से दान कर सम्पादित एवं हस्ताक्षरित किया है जो वैधानिक रूप से जरूरत पड़ने पर काम आवें।

स्थान:-देवास

दिनांक:-24.06.2015

गवाह:-

1.हस्ताक्षर.....

नाम:- सुनील धिता श्री जी.एन बाजपेयी
पता:- 17, विजय नगरचामुण्डा पुरी, देवास (म.प्र.)
डा.ला.क्रं. MP-41-D-2006-0083191

दान पत्र लिख देने वाले

.....

.....Anita.....


2.हस्ताक्षर.....


नाम:- देवेन्द्र पिता श्री रामचन्द्र जी मुकाती
पता:-गाम रुद्रवासा तह.व.जिला देवास (म.प्र.)
नि.पत्र.क्रं. MP/33/278/114026

उपरोक्त दान पत्र हम दान गहिता को स्विकार है

.....

मेरे कार्यालय में उभय पक्ष द्वारा दी गई जानकारी एवं निर्देशानुसार इस विलेख का प्रारूप तैयार किया गया है, पक्षकारों, गवाहों की पहचान व सम्पत्ति के छायाचित्र, से मेरा कोई संबंध नहीं है।


योगेश कुमार द्विवेदी
अभिभाषक देवास (म.प्र.)


रिजिस्ट्रार जनरल देवास
B1/5 आदर लक्ष देवास